रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2023..
   प्र. इ. रि. सं. ....28/2023...... दिनांक 7/2/2023
2. (अ) अधिनियम ....7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018.....
   (ब) अधिनियम ....धारायें.......................................
   (स) अधिनियम ....धारायें.......................................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .... 120बी भा.दं.सं..................................
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....121.......समय.....................2:31 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 23.12.2022/12.01 पीएम से 28.12.2022/ समय 11.55 पीएम.
   (स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.........23.12.2022/समय 12.01 पीएम....................
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक –––––– लिखित..............
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा ,उत्तर दूरी लगभग 95 कि0मी0 ....
   (ब) पता–पुलिस थाना चौपानकी पुलिस जिला भिवाडी ..बीट सख्या ...जरायमदेही सं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना........... जिला...............................

6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम ––– श्री वसीम अकरम
   (ब) पिता का नाम–––––.इलियास खांन..
   (स) जन्म तिथि /वर्ष ..30..
   (द) राष्ट्रीयता........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..................................
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय...... कृषि. ....
   (ल) पता.. गांव खरखडी पुलिस थाना चौपानकी तहसील टपूकडा जिला अलवर........................
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1–श्री श्यामलाल मेथ पुत्र श्री महेन्द्रलाल जाति पंजाबी उम्र 43 वर्ष निवासी गांव झरझीला पोस्ट बघेरीकला, पुलिस थाना कोटकासिम तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल हैड कानि0 नम्बर–216 पुलिस थाना चौपानकी पुलिस जिला भिवाडी (अलवर),
   2–श्री रमजान प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही...
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....रिश्वत राशि की मांग कर 5000/–रू. फोन–पे के जरिये प्राप्त करना.........
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....................
   ....रिश्वत राशि.की मांग कर 5000/–रू. फोन–पे के जरिये प्राप्त करना..............
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय अलवर। विषयः–पुलिस वालों द्वारा रिश्वत मांगने पर उन्हें रिश्वत लेते हुये पकड़वाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि–मै वसीम अकरम पुत्र श्री इलियास खान गांव खरखडी पुलिस थाना चौपानकी तहसील टपूकडा जिला अलवर का रहने वाला हूं। पुलिस थाना चौपानकी पुलिस जिला भिवाड़ी में श्री आबिद खान पुत्र नूर मौहम्मद निवासी खरखडी थाना चौपानकी जिला अलवर द्वारा श्री रासिद, नसीर, एवं मेरे चचेरे भाई आबिद निवासी खरखडी एवं श्री लक्षमन व श्यामसुन्दर चौला मण्डल फाईनेंस कम्पनी अलवर के खिलाफ मुकदमा नम्बर 218/2022 दर्ज कराया गया, उक्त मुकदमे की तफ्तीश एस.एच.ओ. नन्दलाल जांगिड कर रहे है, तथा उक्त मुकदमे में मुझे मुल्जिम बनाने की श्री नन्दलाल जांगिड एस.एच.ओ. द्वारा अपने थाने के हैड कानि0 श्यामलाल के जरिये मेरे घर पर आकर धमकी दी है तथा मुल्जिम नहीं बनाने के लिये उन्होने मुझसे एक लाख रूपये की मांग की और कहा कि रमजान से बात कर लेना, रमजान उनका दलाल है, एस.एच.ओ. श्री नन्दलाल जांगिड व उनके थाने का हैड कानि0 श्यामलाल रमजान दलाल के माध्यम से एक लाख रूपये देने का मुझ पर दबाब बना रहे है एवं कह रहे है कि अभी कुछ पैसे तो फोन–पे करने है । मै

इन तीनों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इन तीनों से कोई दुश्मनी नहीं है और नांही कोई पैसे का लेन–देन बकाया है। अतः श्री नन्दाल जांगिड़ एस.एच.ओ. व हैड कानि0 श्यामलाल एवं दलाल रमजान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। **प्रार्थी–हस्ताक्षर Wasem** वसीम अकरम पुत्रश्री इलियास खान निवासी गांव खरखडी पुलिस थाना चौपानकी तहसील टपूकडा जिला अलवर, मो0 नं0–9799900651, दिनांक 23.12.2022, हस्ताक्षर–परमेश्वरलाल पु.उ.अ. हस्ताक्षर–स्वतंत्र गवाह–राहुल गुप्ता व जितेन्द्र कुमार वर्मा,

कार्यवाही पुलिसः

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 23.12.2022 को समय 12.01 पीएम पर परिवादी श्री वसीम अकरम पुत्र श्री इलियास खांन निवासी गांव खरखडी पुलिस थाना चौपानकी तहसील टपूकडा जिला अलवर ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 9799900651 से मन पुलिस उप अधीक्षक को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी अलवर द्वितीय पर दैनिक राजकार्य संपादित करनें के दौरान मेरे मोबाईल फोन 8800511972 एवं वाट्सअप नं. 9868534248 पर कॉल कर बताया कि पुलिस थाना चौपानकी पुलिस जिला भिवाडी में श्री आबिद खान पुत्र नूर मौहम्मद निवासी खरखडी थाना चौानकी जिला अलवर द्वारा श्री रासिद, नसीर, एवं मेरे चचेरे भाई आबिद, निवासी खरखडी एवं श्री लक्ष्मन, श्यामसुन्दर चोला मण्डल फाईनेंस कम्पनी अलवर के खिलाफ मुकदमा नम्बर 218/2022 दर्ज कराया गया है, उक्त मुकदमे की तफ्तीश एसएचओ श्री नन्दलाल जांगिड कर रहे है, तथा उक्त मुकदमा में मुझे मुल्जिम बनाने की श्री नन्दलाल जांगिड एसएचओ द्वारा अपने थाने के हैड कानि0 श्यामलाल के जरिये मेरे घर पर आकर धमकी दी है तथा मुल्जिम नहीं बनाने के लिये उन्होने मुझसे एक लाख रूपये की मांग की और कहा कि रमजान से बात कर लेना, रमजान उनका दलाल है, एसएचओ श्री नन्दलाल जांगिड व उनके थाने का हैड कानि0 श्यामलाल रमजान दलाल के माध्यम से एक लाख रूपये देने का मुझ पर दबाब बना रहे है एवं कह रहे है कि अभी कुछ पैसे तो फोन–पे करने है मै इन तीनो को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी को कार्यालय में आने हेतु कहा गया तो परिवादी ने कहा कि मेरी गाडी खराब हो गई है तथा मुझे आवश्यक काम भी है इसलिए मैं आ नही पाऊंगा, परिवादी की सूचना पर मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की परिधि में अपराध का पाया जाने पर कानि. श्री राजवीर सिंह नम्बर 443 को मय डिजीटल टेप रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड सहित परिवादी के मुकिम स्थल चौपानकी पहुॅच परिवादी से सम्पर्क कर उससे लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर संदिग्ध पुलिस लोक सेवकों एवं दलाल की परिवादी श्री वसीम से मांग सत्यापन वार्ता करा मय प्रार्थना पत्र एवं बाद सत्यापन मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड सहित सुपुर्द किया जाकर रवाना होने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद दिनांक 26.12.2022 को समय 10.15 ए.एम पर श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी श्री वसीम अकरम की लिखित रिपोर्ट मय एफआईआर 218/22 एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति मय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार दिनांक 23.12.2022 को मै कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्ड मय नये मैमोरी कार्ड सहित लेकर अलवर से रवाना होकर चौपानकी पहुंचा जहां पर मैने परिवादी श्री वसीम अकरम से उसके मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया जो मुझे चौपानकी में पुलिस थाना से पहले सर्किल पर मिला और उसने लिखित रिपोर्ट मय एफआईआर सं0 218/22 की फोटो प्रति एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की एवं मुझसे कहा कि वह पहले थानाधिकरी व हैड कानि0 श्यामलाल के दलाल रमजान से पैसो के संबंध में उसके घर पर जाकर बातचीत करेंगा उसके बाद परिवादी श्री वसीम अकरम मुझे अपने साथ लेकर थानाधिकारी के दलाल श्री रमजान के घर पर गया, जहां पर मैने वाईस रिकार्ड मैमोरी कार्ड सहित चालू करके परिवादी को दिया तो परिवादी चालू हालत में टेप रिकार्डर को लेकर थानाधिकारी के दलाल रमजान के पास उसके घर पर चला गया तथा मै बाहर खडा होकर उसका इन्तजार करता रहा कुछ समय के बाद परिवादी बाहर आया और मुझे वाईस रिकार्ड चालू हालत में दिया जिसको मैने बन्द कर अपने पास रख लिया उसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी दलाल रमजान से बात हो गई है उसने मुझे कहा है कि तेरा मुकदमें में नाम नहीं आयेगा मै थानेदार व हैड कानि0 श्यामलाल से बात कर लूंगा और परसों दिनांक 25.12.2022 को मेरे पास घर आ जाना मै उनसे बात कर तुझे बता दूंगा। मेरे और दलाल रमजान के बीच में जो बात हुई है वह मैने इस टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर

(7)

ली है। इसके बाद मैने परिवादी द्वारा बताई गई बातों के संबंध में आपको जरिये फोन अवगत करा दिया था तथा परिवादी से भी आपकी बातें करा दी थी, उसके बाद आपके निर्देश पर मै परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर दिनांक 25.12.2022 को चोपानकी पर मिलने की कहकर वाईस रिकार्ड को लेकर रात्रि में अलवर वापस आ गया और कार्यालय की अलमारी में वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रख दिया और आपके निर्देशानुसार दिनांक 25.12.2022 को कार्यालय की अलमारी से पुनः वाईस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड के निकालकर लेकर चोपानकी गया और परिवादी वसीम से सम्पर्क किया जो मुझे चोपानकी थाने से पहले स्थित सर्किल पर मिल गया और वह मुझे रमजान के घर के पास ले गया, जहां पर मैने वाईस रिकार्ड मैमोरी कार्ड सहित चालू बंद करने की विधि समझाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करके परिवादी को दिया तो परिवादी चालू हालत में टेप रिकार्डर को लेकर थानाधिकारी के दलाल रमजान के पास उसके घर पर चला गया तथा मै बाहर खडा होकर उसका इन्तजार करता रहा कुछ समय के बाद परिवादी बाहर आया और मुझे वाईस रिकार्ड चालू हालत में दिया जिसको मैने बन्द कर अपने पास रख लिया, और मुझे परिवादी ने बताया कि दलाल रमजान मुझे घर पर नही मिला वो गॉव से बाहर किसी जरूरी कार्य से चला गया है,मैने पूर्व मे मेरे को रमजान द्वारा दिये गये एसएचओ श्री नन्दलाल जांगिड के फोन पे नम्बर 9414360865पर उनके कहे अनुसार मैने अपने मोबाईल फोन–पे नम्बर 9799900651 से 5000/–रूपये फोन पे कर कर दिये है एवं हैड कानि0 श्री श्यामलाल जी को फोन कर पूछा तो उन्होने अपना फोन पे नम्बर 9414728728 बताया जिस पर उनके उक्त फोन–पे नम्बर पर मैने अपने मोबाईल फोन–पे नम्बर 9799900651 से 5000/–रूपये फोन पे कर कर दिये और श्यामलाल हैड कानि. से उनके मोबाईल नम्बर 9414728728 पर मैने अपने मोबाईल नम्बर 9799900651 से कॉल कर पैसे आ जाने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अभी देखकर बताता हूं किन्तु हैड कानि0 ने वापस कॉल कर नहीं बताया तो मैने फिर उसको कॉल किया किन्तु उसने मेरा फोन नहीं उठाया है जिसकी व्हॉटसअप रिकार्डिग भी आपके डिजिटल वाईस रिकार्डर मे दर्ज है। उपयुक्त कार्यवाही बाबत मैने आपको जरिये फोन अवगत कराया एवं परिवादी से भी वार्ता कराई तथा आपके द्वारा परिवादी को दिनांक 26.12.2022 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा तो परिवादी ने आज दिनांक 26.12.2022 को कार्यालय में आने को कहा था। उसके बाद मै परिवादी को इस पूरी कार्यवाही की गोपनियता बनाये रखने तथा जैसे ही दलाल श्री रमजान एवं अन्य किसी माध्यम से एसएचओ श्री नंदलाल जॉगिड एवं हैडकानि0 श्री श्यामलाल द्वारा रिश्वत की मॉग करे तो तुरंत मुझकानि0 राजवीर सिह को या डिप्टी साहब परमेश्वरलाल जी को सूचना देने की हिदायत देकर परिवादी को वहीं पर छोडकर रवाना हो शाम को कार्यालय वापस आया और वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सहित कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख दिया था, जो आज दिनांक 26.12.2022 को निकालकर पेश किया है। इसके बाद कानि0 राजवीर सिंह द्वारा पेश परिवादी की लिखित रिपोर्ट व उसके सलंग्न एफआईआर 218/22 की फोटो प्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति को बाद अवलोकन सुरक्षित रखा गया तथा पेश शुदा वाईस रिकार्ड में रिकार्ड वार्तालाप को उक्त वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तोर पर सुना गया तो रिश्वत राशि की मॉग का स्पष्ट नहीं किन्तु रिश्वत राशि परिवादी से जरिये फोन पे प्राप्त करना पाया गया,। इसके बाद दिनांक 26.12.2022 को समय... 06:13 पीएम0 पर परिवादी श्री वसीम अकरम द्वारा अपने मोबाईल फोन नम्बर 9799900651 से मेरे मोबाईल नम्बर 8800511972/9868534248पर व्हॉटसअप कॉल कर कहा कि साहब मेरे पास कई लोगो के फोन आये और कहा कि आपने कोई थाना चौपानकी मे कोई कार्यवाही करवाई है क्या तो मैने उनको मना कर दिया है जिस पर मैने श्री वसीम को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी तथा रिश्वत मॉग होने पर मुझें तुरंत सूचित करने को कहा। इसके बाद दिनांक 27.12.2022 को समय. 12.21 पीएम0 पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो उसने बताया कि मेरे से अब तक किसी ने रिश्वत की मॉग नही की है, मेरे द्वारा पूर्व मे भी चौपानकी क्षेत्र मे एक ट्रैप कार्यवाही करवाई गई थी जिसकी कार्यवाही चौपानकी थाने पर ही हुई थी और उक्त आरोपित पुलिस वालो द्वारा मेरे फोन पे से रिश्वत राशि भेजने पर मेरे व्हॉटसअप पर लगी हुई प्रोफॉईल फोटो को देखकर शायद उन्हे कार्यवाही की भनक लग गई हैं तथा मेरे पास कई अन्य कॉल भी इस संबंध मे आने लग गए हैं। अब वे पुलिस वाले मेरे से रिश्वत राशि की मॉग नही करेगे। जिस पर मैने परिवादी को अभी भी गोपनीयता बनाये रखने एवं आज ही एसीबी कार्यालय अलवर में आने की हिदायत दी गई, जिस पर परिवादी श्री वसीम अकरम ने कहा कि आज मुझे काम है मै कल आ जाऊँगा। जिस पर परिवादी को दिनांक 28.12.2022 को कार्यालय में आने हेतु हिदायत मुनासिव दी गई। इसके बाद दिनांक 28.12.2022 को समय 2:00

पीएम पर सहायक अभियंता ए–2 जेवीवीएनएल अलवर को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी कर्मचारी बतौर स्वतंत्र गवाह उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्र जारी कर कानि0 चालक श्री महेशचंद नम्बर 374 को प्रदत कर गवाह लाने हेतु रवाना कार्यालय सहायक अभियंता ए–2 जेवीवीएनएल अलवर किया गया, जो समय 2:30 पीएम पर कार्यालय सहायक अभियंता ए–2 जेवीवीएनएल अलवर से दो गवाह श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा मीटर इंस्पेक्टर प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता ए–2 जेवीवीएनएल अलवर एवं श्री राहुल गुप्ता वाणिज्य सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता ए–1 जेवीवीएनएल अलवर को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया , दोनो गवाहान को कार्यालय मै बैठाया गया। इसके बाद दिनांक 28.12.2022 को समय 03:30 पीएम पर पाबंद शुदा परिवादी श्री वसीम अकरम कार्यालय मे मेरे समक्ष उपस्थित आया जिस पर मेरे द्वारा परिवादी से उस द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 23.12.2022 में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि पुलिस थाना चौपानकी पुलिस जिला भिवाडी में श्री आबिद खान पुत्र नूर मौहम्मद निवासी खरखडी थाना चोपानकी जिला अलवर द्वारा श्री रासिद, नसीर, एवं मेरे चचेरे भाई आबिद, निवासी खरखडी एवं श्री लक्ष्मन, श्यामसुन्दर चोला मण्डल फाईनेंस कम्पनी अलवर के खिलाफ मुकदमा नम्बर 218/2022 दर्ज कराया हुआ है, जिसकी तफ्तीश एसएचओ श्री नन्दलाल जांगिड कर रहे है, तथा उक्त मुकदमा में मुझे मुल्जिम बनाने की श्री नन्दलाल जांगिड एसएचओ द्वारा अपने थाने के हैड कानि0 श्यामलाल के जरिये मेरे घर पर आकर धमकी दी तथा मुल्जिम नहीं बनाने के लिये उन्होने मुझसे एक लाख रूपये की मांग की और कहा कि रमजान से बात कर लेना, रमजान उनका दलाल है, एसएचओ श्री नन्दलाल जांगिड व उनके थाने का हैड कानि0 श्यामलाल रमजान दलाल के माध्यम से एक लाख रूपये देने का मुझ पर दबाब बनाया एवं कहा कि अभी कुछ पैसे तो फोन–पे करने है । मैने इन तीनो को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाने के लिये दिनांक 23.12.2022 को ये सारी बातें आपको फोन पर बताई तो आपने मुझे अपने कार्यालय में आने को कहा किन्तु मैने गाडी खराब होने से एवं आवश्यक काम होने से आने में असमर्थता बताई तो आपने मुझे अपने कर्मचारी राजवीर कानि0 का मोबाईल नम्बर देकर कहा कि उक्त कानि0 को टेप देकर भेज रहा हूं इससे सम्पर्क कर टेप रिकार्डर लेकर संदिग्ध आरोपितों से रिश्वत की मांग के सम्बध में वार्ता कर उक्त वार्ता को रिकार्ड करना मैने कहा ठीक है। इसके बाद उसी रोज दिनांक 23.12.2022 को कानि0 राजवीर सिंह ने चौपानकी पहुंच मुझसे मेरे मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया जिस पर मै चौपानकी में पुलिस थाना से पहले सर्किल पर राजवीर से मिला और राजवीर सिंह कानि0 को मैने एसएचओ श्री नन्दलाल एवं हैड कानि0 श्यामलाल व रमजान दलाल को रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत आपके पदनाम से लिखित रिपोर्ट मय एफआईआर सं0 218/22 की फोटो प्रति एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की,उसके बाद एसएचओ व हैड कानि0 श्यामलाल के दलाल रमजान से पैसो के संबंध में उसके घर पर जाकर बातचीत करने के लिये मे कानि0 राजवीर को साथ लेकर दलाल श्री रमजान के घर पर गया, जहां पर राजवीर कानि0 ने अपने पास से टेप रिकार्डर निकालकर चालू कर मुझे दिया जिसको मै अपने पास रखकर दलाल रमजान के पास उसके घर पर चला गया तथा राजवीर कानि0 बाहर खडा होकर मेरा इन्तजार करता रहा मुझे दलाल रमजान अपने घर पर मिल गया जिससे मैने अपने काम के बारे में बातचीत की तो रमजान ने मुझसे कहा कि तेरा मुकदमें में नाम नहीं आयेगा मै एसएचओ नन्दलाल व हैड कानि0 श्यामलाल से बात कर लूंगा और परसों दिनांक 25.12.2022 को मेरे पास घर जाना मै उनसे बात कर तुझे बता दूंगा। मेरे और दलाल रमजान के बीच में जो बात हुई है वह मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली और बात करने के बाद मै रजमान के घर से बाहर आकर राजवीर कानि0 से मिला और चालू हालत में टेप रिकार्डर राजवीर कानि0 को दे दिया जिसे राजवीर कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया उसके बाद मैने कानि0 राजवीर को सारी बातें बता दी। इसके बाद राजवीर कानि0 ने मेरे द्वारा बताई हुई बातों के संबंध में आपको जरिये फोन अवगत करा दिया था तथा मैने भी आपये बात कर सारी बातें बताई थी। उसके बाद आपके निर्देश पर कानि0 राजवीर सिंह मुझे दिनांक 25.12.2022 को चौपानकी पर मिलने की कहकर वाईस रिकार्ड को लेकर रात्रि में अलवर चला गया था और मै अपने घर चला गया था। इसके बाद दिनांक 25.12.2022 को कानि0 राजवीर ने चोपानकी पहुंचकर मुझसे मेरे मोबाईल पर सम्पर्क किया तो मै चोपानकी थाने से पहले स्थित सर्किल पर राजवीर कानि से मिला था फिर हम दोनो रमजान के घर के पास गये जहां पर राजवीर कानि0 ने टेप रिकार्ड चालू कर मुझे दिया जो मै अपने पास रखकर एसएचओ नन्दलाल के दलाल रमजान के पास उसके घर पर गया तथा

कानि0 राजवीर बाहर खडा होकर मेरा इन्तजार करता रहा, मै रमजान के घर पर पहुंचा किन्तु रमजान घर पर नहीं मिला जिसका गांव से बाहर किसी जरूरी काम से जाना बताया फिर मैने पूर्व मे मेरे को रमजान द्वारा दिये गये एसएचओ श्री नन्दलाल जांगिड के फोन पे नम्बर 9414360865पर उनके कहे अनुसार मैने अपने मोबाईल फोन–पे नम्बर 9799900651 से 5000/–रूपये फोन पे कर कर दिये एवं हैडकानि0 श्री श्यामलाल जी को फोन कर पूछा तो उन्होने अपना फोन पे नम्बर 9414728728 बताया जिस पर उनके उक्त फोन–पे नम्बर पर मैने अपने मोबाईल फोन–पे नम्बर 9799900651 से 5000/–रूपये फोन पे कर दिये और श्यामलाल हैड कानि. से उनके मोबाईल नम्बर 9414728728 पर मैने अपने मोबाईल नम्बर 9799900651 से कॉल कर पैसे आ जाने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अभी देखकर बताता हूं किन्तु हैड कानि0 ने वापस कॉल कर नहीं बताया तो मैने फिर उसको कॉल किया किन्तु उसने मेरा फोन नहीं उठाया, जिसकी व्हॉटसअप रिकार्डिग टेप रिकार्ड में रिकार्ड कर ली उसके बाद टेप रिकार्डर चालू हालत में राजवीर कानि0 को दे दिया जो राजवीर सिंह कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया था। उसके बाद मैने सारी बातें राजवीर कानि0 को बता दी थी, तथा राजवीर कानि0 ने मेरे द्वारा बताई गई बातों के बारे में आपको फोन कर बता दिया था मेरी भी आपसे बात कराई थी तथा आपके द्वारा मुझे दिनांक 26.12.2022 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा था तो मैने आने हेतु कह दिया था। इसके बाद कानि0 राजवीर मुझे पूरी कार्यवाही की गोपनियता बनाये रखने तथा जैसे ही दलाल श्री रमजान एवं अन्य किसी माध्यम से एसएचओ श्री नंदलाल जॉगिड एवं हैडकानि0 श्री श्यामलाल द्वारा रिश्वत की मॉग करे तो तुरंत सम्पर्क करने की कहकर कानि0 राजवीर मय टेप रिकार्डर के अलवर चला गया था और मै अपने घर आ गया था तथा उसके बाद मेरे पास कई लोगो के फोन आये और कहा कि आपने कोई थाना चौपानकी मे कोई कार्यवाही करवाई है क्या तो मैने उनको मना कर दिया था,तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 26.12.2022 को मैने आपको बता दिया था, तथा दिनांक 27.12.2022 को आपने मुझे कॉल किया था तो मैने आपको बताया था कि मेरे से किसी ने रिश्वत की मॉग नही की है। मेरे द्वारा पूर्व मे भी चौपानकी क्षेत्र मे एक ट्रैप कार्यवाही करवाई गई थी जिसकी कार्यवाही चौपानकी थाने पर ही हुई थी और उक्त आरोपित पुलिस वालो द्वारा मेरे फोन पे से रिश्वत राशि भेजने पर मेरे व्हॉटसअप पर लगी हुई प्रोफॉईल फोटो को देखकर शायद उन्हे कार्यवाही की भनक लग गई हैं तथा मेरे पास कई अन्य कॉल भी इस संबंध मे आने लग गए हैं। अब वे पुलिस वाले मेरे से रिश्वत राशि की मॉग नही करेगे। जिस पर आपके द्वारा कार्यालय में आने हेतु कहा जाने पर मैने दिनांक 27.12.2022 को आने में असमर्थता बताई और आज दिनांक 28.12.2022 को उपस्थित होने के कहकर उपस्थित आया हूं। इसके बाद परिवादी द्वारा वक्त मांग सत्यापन दिनांक 25.12.2022 को आरोपीगण श्री नन्दलाल जांगिड एसएचओ व हैड कानि0 श्यामलाल को फोन पे के जरिये पांच–पांच हजार रू. फोन पे करने बाबत उसके मोबाईल फोन का स्क्रीनसोट लिया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया एवं परिवादी को कार्यालय बैठाया गया, तत्पश्चात समय 05.00 पीएम पर कार्यालय में मौजूद स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा मीटर इंस्पेक्टर प्रथम एवं श्री राहुल गुप्ता वाणिज्य सहायक द्वितीय से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की जाकर दोनो गवाहो का उपस्थित परिवादी वसीम अकरम से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 23.12.2022 को दिखाया व पढवाया गया तथा दोनो गवाहों ने परिवादी की रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना सुनिश्चित कर रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने अपने हस्ताक्षर दिनांक अंकित किये, तत्पश्चात समय 06.00पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा मीटर इंस्पेक्टर प्रथम व श्री राहुल गुप्ता वाणिज्य सहायक द्वितीय के सामने एवं परिवादी श्री वसीम अकरम की मौजूदगी में मन पुलिस उप अधीक्षक के कब्जे की कार्यालय आलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले हुये सहित जिसमें परिवादी वसीम एवं संदिग्ध आरोपी दलाल रमजान के मध्य दिनांक 23.12.2022 को एवं दिनांक 25.12.2022 को परिवादी वसीम एवं संदिग्ध आरोपीगण के मध्य रूबरू/मोबाईल पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबिल स्पीकर के सहयोग से सुना व गवाहान व परिवादी को सुनाया गया जिसमें संदिग्ध आरोपीगणों द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग स्पष्ट नहीं होना किन्तु परिवादी से फोन पे के जरिये पांच–पांच हजार कुल 10 हजार रूपये प्राप्त करना पाया गया। उक्त वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्तालाप की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री वसीम द्वारा अपनी एवं

(5)

संदिग्ध आरोपी दलाल रमजान एवं हैड कानि0 श्यामलाल की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसक्रिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रूबरू/मोबाईल रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क A-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया ,उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उक्त एसडी कार्ड को उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क– SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनो शील्डशुदा डीवीडी मार्क A-1, A-2 को एवं शील्ड एसडी कार्ड मार्क–SD को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया, तत्पश्चात समय 11.55 पीएम पर परिवादी श्री बसीम अकरम तथा दोनो गवाहान व कार्यालय स्टाफ सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा गवाहान एवं परिवादी को बाद हिदायत रूखसत किया गया।

इस प्रकार परिवादी श्री वसीम अकरम पुत्र श्री इलियास निवासी गांव खरखडी पुलिस थाना चोपानकी तहसील टपूकडा जिला अलवर की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.12.2022 व 25.12.2022 एवं की कार्यवाही आदि से हैड कानि0 श्री श्यामलाल पुलिस थाना चोपानकी पुलिस जिला भिवाडी द्वारा एक लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री वसीम अकरम के चचेरे भाई आबिद एवं अन्य के खिलाफ पुलिस थाना चोपानकी में दर्ज मुकदमा नम्बर 218/2022 में स्वयं एवं श्री रमजान दलाल से आपसी मिलीभगत एवं षडयंत्र रचकर उक्त मुकदमा में परिवादी वसीम अकरम को मुल्जिम बनाने की धमकी उसके घर पर जाकर देना एवं उसे मुल्जिम नहीं बनाने की एबज में एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अपने दलाल रमजान से बात कर पैसे फोन–पे करने की कहना, तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 23.12.2022 व 25.12.2022 को परिवादी से दलाल द्वारा पैसे लेकर रफा–दफा करने की कहना तथा हैड कानि0 श्यामलाल द्वारा फोन–पे पर रिश्वत राशि स्वीकार करना और फोन–पे के जरिये दिनांक 25.12.2022 को परिवादी वसीम से आरोपी श्री श्यामलाल हैड कानि0 द्वारा पांच हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा परिवादी पर शक होने से उससे आगे रिश्वत राशि की मांग नहीं करना पाया गया है तथा थानाधिकारी श्री नंदलाल जॉगिड को भी परिवादी ने पॉच हजार रूपये फोन पे किये है जिसकी जॉच दौराने अनुसंधान की जाएगी। श्री श्यामलाल मेथ हैड कानि0 नम्बर–216 पुलिस थाना चौपानकी पुलिस जिला भिवाडी एवं श्री रमजान प्राईवेट व्यक्ति(दलाल) का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120बी भादंसं में प्रथम दृष्ट्या बनना पाया जाता है।

अतः श्री श्यामलाल मेथ पुत्र श्री महेन्द्रलाल जाति पंजाबी उम्र 43 वर्ष निवासी गांव झरझीला पोस्ट बघेरीकला, पुलिस थाना कोटकासिम तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल हैड कानि0 नम्बर–216 पुलिस थाना चौपानकी पुलिस जिला भिवाडी (अलवर) एवं श्री रमजान प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 120बी भादंसं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण श्री श्यामलाल मेथ पुत्र श्री महेन्द्रलाल, हैड कानि. नम्बर 216, पुलिस थाना चौपानकी, पुलिस जिला भिवाड़ी, (अलवर) एवं श्री रमजान, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 28/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.2.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 213-16 दिनांक 07.02.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक भिवाडी, अलवर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

7.2.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।